

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>01 11/17</p>	<p>आवेदक इरसाद सहित श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन/मूल अभिलेख की प्राप्ति हेतु नियत है। अभिलेखागार मिण्ड से मूल अभिलेख प्रक-34/15 वलेम इरसाद खा बनाम बजरंग आदि खादि-12-11-18 प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया, अर्वाड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p> <p>अर्वाड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना गया। आवेदनपत्र पर विचार किया गया, प्रकरण में आवेदक की क्षतिपूर्ति हेतु खादि 12-11-18 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 27000/- (सत्ताईस हजार) रुपये जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पजी क-22 दिनांक 17-12-18 को 27000/- (सत्ताईस हजार) रुपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पजीयन कमाक-21 दिनांक 20-12-18 पर जमा होकर शेष है।</p> <p>मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण वृहद नेशनल लोक अदालत में दिनांक 12-11-18 को निराकृत हुआ। आदेश का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अर्वाड पारित करते हुए राशि 27000/- (सत्ताईस हजार) रुपये आवेदक इरसाद को बीमा कम्पनी द्वारा 01 माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है।</p> <p>अतः आदेश के पालन में आवेदक इरसाद खा पुत्र सत्तार खा निवासी - परीछा तहसील मुरैना जिला मुरैना म.प्र. को राष्ट्रीयकृत बैंक खाता के माध्यम से 27000/- (सत्ताईस हजार) रुपये का भुगतान किया जाना है। आदेशानुसार पक्षकार उपस्थित है। उसका रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।</p> <p>मूल अभिलेख प्रक-34/15 वलेम इरसाद खा बनाम बजरंग आदि खादि 12-11-18 में आदेश की प्रति संलग्न कर अभिलेखागार मिण्ड को वापिस भेजा जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पजी में दर्ज कर अभिलेखागार मिण्ड भेजा जावे।</p> <p>पि. सी. अर्वा सदस्य वि. मोटर दुर्घटना बावा प्राधिकरण गोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p>	<p>मोटा/इरसाद/बजरंग/रुपये काना/अर्वाड/रुपये</p> <p>इरसाद खा</p> <p>अर्वाड खा</p> <p>01</p>